न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/03

मोजी राम आयु 35 वर्ष पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी ग्राम मुण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. पांचू आयु 68 वर्ष पुत्र लोडक्या जाति बैरवा निवासी ग्राम मुण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामनाथ आयु 48 वर्ष पुत्र पांचू जाति बैरवा निवासी ग्राम मुण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. महावीर आयु 39 वर्ष पुत्र पांचू जाति बैरवा निवासी ग्राम मुण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. महावीर आयु 33 वर्ष पुत्र छीतर जाति बैरवा निवासी ग्राम मुण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. दयाराम आयु 58 वर्ष आत्मज कल्याण जाति गुर्जर निवासी मुण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. भैरूलाल आयु 31 वर्ष आत्मज दयाराम जाति गुर्जर निवासी मुण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. महावीर आयु 41 वर्ष आत्मज कल्याण जाति गुर्जर निवासी मुण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. कल्याण आयु 78 वर्ष आत्मज श्री हरदेव जाति गुर्जर निवासी मुण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी (नाम तर्क) ।
9. प्रेम बाई आयु 53 वर्ष पत्नी दयाराम जाति गुर्जर निवासी मुण्डली हाल निवीस फलास्थुनी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 16/04

मोजी राम आयु 35 वर्ष पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी ग्राम मुण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

10. पांचू आयु 67 वर्ष पुत्र लोडक्या जाति बैरवा निवासी ग्राम मुण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. नाथी आयु 62 वर्ष दुख्तर लोडक्या जाति बैरवा निवीास ग्राम मुण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
12. महावीर आयु 32 वर्ष पुत्र छीतर जाति बैरवा निवासी ग्राम मुण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
13. महावीर आयु 38 वर्ष पुत्र पांचू जाति बैरवा निवासी ग्राम मुण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
14. रामनाथ आयु 39 वर्ष पुत्र पांचू जाति बैरवा निवासी ग्राम मुण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
15. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपील संख्या 16/03 में रेस्पोडेन्ट कम 5, 6 व 9 की ओर से ।
3. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 2 व 3 की ओर से अपील संख्या 16/03 में एवं अपील संख्या 16/04 में रेस्पोडेन्ट कम 1, 4 व 5 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 12.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 16/03 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 एवं अपील संख्या 16/04 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.08.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने से तथा एक ही वादग्रस्त आराजी होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. अपील संख्या 16/03 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के

अन्तर्गत ग्राम मुण्डली तहसील नैनवा की नया खाता संख्या की आराजी खसरा नम्बर 357 की रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी कम 1 महावीर आत्मज छीतर के शामलाती खातेदारी की भूमि है जिसका अभी विभाजन नहीं हुआ है । उक्त भूमि में वादीगण का 3/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 1 का 1/4 हिस्सा है । प्रतिवादी कम 2 से 7 उक्त भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते हैं और उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण कम 2 से 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें । अतः वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी के 3/4 हिस्से से प्रतिवादीगण वादीगण को बेदखल नहीं करें और वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे यदि दौराने दावा प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर कब्जा कर ले तो उन्हें बेदखल कर कब्जा वापस वादीगण को दिलाया जावे ।

4. अपील संख्या 16/04 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट मोजी राम ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद खातेदारी निरस्त करने, अधिकार घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर कथन किया कि ग्राम मुण्डली तहसील नैनवा जिला बून्दी में नया खाता संख्या 01 की आराजी खसरा नम्बर 357 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी की पुश्तैनी भूमि है जिस पर वादी ही अपने पूर्वजों के समय से खेती करता चला आ रहा है । प्रतिवादीगण ने षडयंत्र रचकर दिनांक 12.10.2011 को उक्त भूमि में से कल्याण के हिस्सा 1/4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी कम 5 रामनाथ के हक में बेचान कर दिया । इसी प्रकार नाथी दुख्तार लोडक्या ने 1/4 हिस्सा प्रतिवादी कम 4 महावीर को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से विक्रय कर दिया उक्त विक्रय अवैध एवं शून्य प्रभावी होने से निरस्त होने योग्य हैं । प्रतिवादीगण गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर उक्त भूमि से वादी को बेदखल कर उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि की अवैध व अनाधिकृत प्रविष्टि को शून्य करार दिया जाकर प्रतिवादीगण की खातेदारी को निरस्त किया जावे तथा उक्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने वाद संख्या 135/दावा/2012 को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 के वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया । उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 4 मोजीराम अपीलान्ट ने न्यायालया हाजा में अपील संख्या 16/03 प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने वाद संख्या 79/दावा/2013 को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.08.2015 के वादी का वाद खारिज कर दिया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालया हाजा में अपील संख्या 16/04 प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

7. अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में दोनों अपीलों में अलग–अलग प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली

जवाब में लम्बित थी । अपीलान्ट के वकील साहब ने अपीलान्ट को प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने के लिए मना किया हुआ था और आवश्यकता होने पर सूचित करने के लिए कहा था परन्तु उनके अभिभाषक द्वारा अपीलान्ट को उक्त निर्णय एवं डिक्री बाबत् कोई सूचना नहीं दी गई । उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी उक्त अपीलाधीन निर्णय की इजराय हेतु अपीलान्ट को नोटिस प्राप्त हुए जिस पर उक्त दोनों अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त हुई । जिस पर उक्त दोनों अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर ये दोनों अपीलें न्यायालय हाजा में पेश की गई हैं । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की अनुपस्थिति में सीपीसी की पालना किये बिना अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध एक अन्य वाद प्रस्तुत किया हुआ था जिसमें अपीलान्ट ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में दावा वादी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ है । सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त दोनों अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की गई हैं जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 एवं 13.08.2015 निरस्त फरमाये जावें ।

10. रेस्पोडेन्ट 5, 6 व 9 के लायक अधिवक्ता श्री तेजमल जैन ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में पक्षकरान की अनुपस्थिति में निर्णय एंव डिक्री पारित की है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाये जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट क्रम 1, 2 व 3 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय एवं डिक्री पारित की है । वाद संख्या 135/2012 में वादी क्रम 2 रामनाथ एंव प्रतिवादी क्रम 1 महावीर उपस्थित हुए हैं और उनकी उपस्थिति में विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 एवं 13.08.2015 बहाल रखे जावें ।

12. हमने दोनों पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा दोनों अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्रों में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वाद संख्या 135/2012 में सिर्फ वादी कम 2 रामनाथ एवं प्रतिवादी कम 1 महावीर उपस्थित हुए हैं । समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । वाद संख्या 135/2012 में प्रतिवादी कम 4, 5 व 6 की ओर से जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम पेश किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 04 तनकीयात कायम की थीं परन्तु तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 16/03 एवं अपील संख्या 16/04 दोनों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 प्रकरण संख्या 135/12 एवं 13.08.2015 प्रकरण संख्या 79/2013 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वाद संख्या 79/2013 में प्रतिवादी को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दोनों दावों में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकी कायम कर उभय पक्षीय साक्ष्य लेकर दोनों वादों में सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा